सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 12.11.2026

- **CSC आईडी के दुरुपयोग से लाखों रुपये की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो अभियुक्त गिरफ्तार-**
- **जनसेवा केन्द्रों की Inactive CSC ID को एक्टिव कराने के नाम पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड हासिल कर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे अभियुक्त-**
- **दूसरे व्यक्तियों के दस्तावेजों पर फर्जी CSC ID बनाकर भी कराते थे सत्यापन-**

पुलिस अधीक्षक, जनपद सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं साइबर अपराधों के अनावरण हेतु साइबर क्राइम पुलिस थाना को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए **मु0अ0सं0 13/2026, धारा 318(4), 66(D)** से संबंधित प्रकरण में CSC ID के दुरुपयोग के माध्यम से लाखों रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले का सफल अनावरण किया गया है। इस कार्रवाई में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)

जांच में प्रकाश में आया कि जनसेवा केन्द्र से संबंधित कार्यों में संविदा पर नियुक्त अभियुक्त आशीष कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद में संचालित जनसेवा केन्द्रों की Inactive CSC ID को पुनः एक्टिव कराने के नाम पर संचालकों से उनकी यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लिए जाते थे। इसके बाद पासवर्ड बदलकर उक्त CSC ID साइबर अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को उपलब्ध करा दी जाती थी।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा साइबर अपराधियों के साथ मिलकर अन्य व्यक्तियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम से नई CSC ID बनवाई जाती थी तथा उनका सत्यापन कराकर उन्हें एक्टिवेट किया जाता था। इस प्रकार फर्जी तरीके से तैयार की गई एवं अन्य जनसेवा केन्द्रों की CSC ID साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराकर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था।

प्रकरण में प्रकाश में आए पीड़ित एवं जनसेवा केन्द्रों का विवरण

जांच के दौरान निम्नलिखित पीड़ित व्यक्तियों एवं जनसेवा केन्द्रों के नाम प्रकाश में आए हैं—

1. विशाल पटेल पुत्र अवधेश पटेल, निवासी सुकृत, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र – इनके द्वारा बैंक खाता खुलवाने के उद्देश्य से जनसेवा केन्द्र पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। उक्त दस्तावेजों का दुरुपयोग कर CSC ID बनाई गई, जिसका सत्यापन अभियुक्तों द्वारा कराया गया था। संबंधित स्थान पर पूर्व से ही ओम कम्प्यूटर, सुकृत स्थापित था।
2. सुशील कुमार – एक छात्र के नाम पर CSC ID बनाकर उसका दुरुपयोग साइबर धोखाधड़ी में किया गया।

3. रमेश कुमार गुर्जर पुत्र भोला प्रसाद, निवासी कन्हरा, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र – इनके जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ऑपरेटर ID बनाकर साइबर धोखाधड़ी की गई।
4. सविता पत्नी रूपनाथ प्रजापति – इनके जनसेवा केन्द्र के माध्यम से भी ऑपरेटर ID बनाकर साइबर धोखाधड़ी की गई।

पीड़ित की शिकायत पर हुई प्रभावी कार्रवाई

उक्त प्रकरण में जिला समन्वयक की भूमिका एवं धोखाधड़ी में संलिप्तता के संबंध में पूछताछ हेतु बुलाए जाने पर संबंधित पीड़ित थाने पर उपस्थित हुए। पीड़ित विशाल पटेल द्वारा बताया गया कि गलत सत्यापन एवं CSC ID के आपराधिक गतिविधियों में दुरुपयोग के कारण गुजरात पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें जमानत करानी पड़ी थी।

पीड़ित द्वारा अपनी आपबीती बताने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण में कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। इसी क्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना सोनभद्र द्वारा साक्ष्यों एवं जांच के आधार पर दोनों अभियुक्तों को पूछताछ हेतु साइबर थाने पर बुलाया गया, जिसमें दोनों की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर साइबर धोखाधड़ी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. आशीष कुमार पाण्डेय पुत्र सुखनन्दन पाण्डेय, निवासी उस्मानपुर, थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर।
2. अभय कुमार गौंड पुत्र शंकर प्रसाद गौंड, निवासी नवापुरा, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण

1. दो अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन।
2. एक अदद दोपहिया वाहन (पल्सर)।

पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 धीरेन्द्र कुमार चौधरी, साइबर थाना/साइबर सेल सोनभद्र।
2. उ0नि0 आशीष पटेल, साइबर थाना सोनभद्र।
3. हे0का0 शिवनन्दन सिंह यादव, साइबर थाना सोनभद्र।
4. हे0का0 संजय कुमार वर्मा, साइबर थाना सोनभद्र।
5. हे0का0 योगेश यादव, साइबर थाना सोनभद्र।
6. का0 सुनील रावत, साइबर सेल सोनभद्र।